4465
संख्या– /II–2004–03(01)/04

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक 29 नवम्बर 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत अधिष्ठान हेतु अवचनबद्ध मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या–554/विअनु–1/2004, दिनांक 30.07.2004 में दिये गये निर्देशों एवं शासनादेश सं0 1230/नौ–1–सि0 (01बजट)/03/04 दिनांक 31.03.2004, एवं शासनादेश सं0 1349/नौ–1–सि0 (01 बजट)/03/04 दिनांक 06.04.2004, शासनादेश सं0 1666/II–2004–03 (01)/03 दिनांक 06.05.2004, शासनादेश सं0 2998/II–2004–03 (01)/03 दिनांक 13.08.2004 एवं शासनादेश सं0 4302/II–2004–03(01)/04 दिनांक 06.11.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई सलाहकार समिति के अधिष्ठान के अवचनबद्ध मदों हेतु संलग्न में अंकित विवरणानुसार रू0 2.10 लाख (रूपय दो लाख दस हजार मात्र) की धनराशि वर्णित अनुदान /लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों/सामग्रियों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर पर अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाय। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को समय उपलब्ध करायी जाय।

4– यदि किसी मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो पहले पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर विगत वर्ष का वास्तविक व्यय का विवरण देते हुए बी0एम0–13 प्रस्तुत किये जाने के बाद ही विचार किया जायेगा ।

5– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनमें वह स्वीकृत किया जा रहा है।

क्रमांशः.....2

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष– 2004–05 में अनुदान संख्या– 20 लेखाशीर्षक 2701 मुख्य तथा मध्यम सिंचाई–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक आयोजनेत्तर के अन्तर्गत वर्णित शीर्षक के प्राथमिक इकायों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0 1862/वि0अनु0–3/2004, दिनांक 27 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या– 4465 /II–2004–03(01)/04तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3) उत्तराँचल, शासन।
3– नियोजन विभाग, उत्तराँचल शासन।
4– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराँचल शासन।
6– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराँचल।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

शासनादेश सं0 4465 / II–2004–03(01) / 2004 दिनांक 29 नवम्बर 04 संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	बजट प्राक्धिान	पूर्व में जारी स्वीकृति	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5
	20 / 2701–मुख्य तथा सिंचाई 01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक 001–निदेशन तथा प्रशासन 08–सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान			
1	04–यात्रा व्यय	1.00	–	1.00
2	07–मानदेय	0.10	–	0.10
3	08–कार्यालय व्यय	1.00	–	1.00
	योग–	2.10	–	2.10

(रूपये दो लाख दस हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।